न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

(6)

1545/21 श्योजी बनाम गोविन्दा वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/3/21	पत्रावली पेश हुई। वकिल प्रार्थी उप०। प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी ख० नं० 62/1 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम चकपृथ्वीसिंहपुरा तहसील लालसोट जिससे प्रार्थीगण काश्त कर लाभान्वित होते आ रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि में दखल देने की एवनियां धमकी दिनांक 27-6-07 को दिये जाने के कारण वाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का निवेदन किया है। प्रा०पत्र दर्ज रजि० किया जाकर अप्रार्थीगणों को तलब किया गया। अप्रार्थीगणों के बावजूद सूचना उपस्थित नही आने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर दिनांक 3-3-21 को वकिल प्रार्थी की एक-पक्षीय बहस सुनी गई। वकिल प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना-पत्र के कथनो को दोहराते हुए अप्रार्थीगणों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसलावाद करवाने का निवेदन किया तथा अपने कथनो के समर्थन मे जमाबन्दी सम्वत 2059-62 का जिक्र किया। हमने पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया तथा वकिल प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर गौर फरमाया तथा मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के पक्ष मे-	

अन्तरिम अस्थाई - निषेधाज्ञा दिनांक 21-7-02 को इस आशय को दी गई कि अप्रार्थीगण आराजी वादग्रस्त ख० नं० 62/1 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम - चक पृथ्वीसिंहपुरा में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार को बाधा ना डाले तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रस्तुत प्रकरण पर अप्रार्थीगणों के हाजिर नही आने पर वकिल प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। जमाबन्दी सम्वत् 2059-62 के अनुसार प्रार्थीगण आराजी वादग्रस्त के अभिलिखित खातेदार है प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष मे स्पष्टतया प्रमाणित है। यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द नही किया जाता है तो प्रार्थीगण को क्षति होने का भी पूरा - पूरा अंदेशा है। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे ही है। अतः उक्त तीनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे पाये जाने पर प्रार्थीगण के पक्ष मे जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसलावाद confirm किया जाता है। अप्रार्थीगण को इस आशय को अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसलावाद पाबन्द किया जाता है कि वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी ख० नं० 62/1 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम - चक पृथ्वीसिंहपुरा की मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा ना करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो संलग्न मूलवाद रहे।

3/3/21

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट ...